



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032022-234352
CG-DL-E-22032022-234352

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1195]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2022/फाल्गुन 30, 1943

No. 1195]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2022/PHALGUNA 30, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2022

का.आ. 1236(अ).—केन्द्रीय सरकार को, ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए काडला (गुजरात) से गोरखपुर (उ.प्र.) एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आईएचबी लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाना आवश्यक है।

केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962(1962 का50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतिया साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी(न्यायिक), झासी, कांडला-गोरखपुर एल पी जी पाइपलाइन परियोजना (केजीपीएल), आई एच बी लिमिटेड, जिला- झासी (यूपी) को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

तहसील- झांसी	अनुसूची जिला-झांसी	राज्य-उत्तर प्रदेश		
गाँव का नाम	सर्वे न./गाटा न.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धिसौली	1	00	01	34
	7	00	17	37
	6	00	43	29
	10	00	59	72
	11	00	65	74
	कुल	01	87	46
बैजपुर	351	00	01	14
	563	00	11	91
	478	00	01	69
	477	00	03	32
	409	00	04	09
	401	00	10	18
	402	00	06	36
	403	00	13	26
	376	00	05	52
	380	00	31	67
	352	00	13	61
	कुल	01	02	75
मनकुवा	541	00	15	76
	543	00	09	36
	540	00	00	61
	539	00	06	11
	542	00	07	29
	कुल	00	39	13
रसीना	810	00	01	06
	1	00	00	42
	41	00	00	82

गाँव का नाम	सर्वे न./गाटा न.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
	25	00	29	89
	947/1	00	09	53
	कुल	00	41	72

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-1/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवसर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2022

S.O. 1236(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public Interest that for the transportation of the LPG in the state of Uttar Pradesh Pipeline Should be laid for implementing of Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project by the IHB Limited.

And Whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, It is necessary to acquire the right of user (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user there in.

Any person who is interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Competent Authority/Sub Divisional Magistrate (Judicial), Jhansi, Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline(KGPL), IHB Limited, Dist.-Jhansi (UP) within twenty one days from the date on which the copies of this notification Issued under Sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE

TEHSIL : JHANSI

DISTRICT: JHANSI

STATE: UTTAR PRADESH

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
GHISOLI	1	00	01	34
	7	00	17	37
	6	00	43	29
	10	00	59	72
	11	00	65	74
	Total	01	87	46
BAIJPUR	351	00	01	14
	563	00	11	91
	478	00	01	69
	477	00	03	32
	409	00	04	09
	401	00	10	18
	402	00	06	36

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
	403	00	13	26
	376	00	05	52
	380	00	31	67
	352	00	13	61
	Total	01	02	75
MANKUWA	541	00	15	76
	543	00	09	36
	540	00	00	61
	539	00	06	11
	542	00	07	29
	Total	00	39	13
RASINA	810	00	01	06
	1	00	00	42
	41	00	00	82
	25	00	29	89
	947/1	00	09	53
	Total	00	41	72

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.